पेश्वी नहीं होने पाहिर किया। अतः प्रति
क्रं 1, 3, 4, व 6 के नाम अदालती नोटिस
पाते है। पत्रावली वास्ते प्रकाश आज्ञा व
तलबी दिनांक 24/2/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (मु.)
सीकर

24/2/25 पत्रावली पेश हुई। वकील काजी
एवं काजी रमजान की तरफ से जवाब प्रतिकाजी
क्रं 2 एवं प्रतिकाजी क्रं 2 रमजान को बार-बार
आवाज लगवाई गई। लेकिन न्यायालय
समक्ष तक हाजिर नहीं आये। अतः वादकारी
अपने पेश्वी व अपने हाथों से जारिज किया
पाया है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद
कार्यवाही अभिलेख अमान्य हो। निर्णय अग्रिम
दिनांक 24/2/25 को खुले न्यायालय में
सुनाया जाय।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर